न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, धोद,

उमेश जांगिड़ बनाम गोवरधनमल आदि

किस्म मुकदमा दावा मु. नं. 81 वर्ष

दिनांक	आज्ञा-पत्र
21/8/25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी हाजिर वकील प्रति 32 (?) ने ऊपर कार्यवाही हेतु [illegible] किये कि [illegible] अतः वकील वादी के [illegible] वादी के [illegible] वादी [illegible] के [illegible] पेश किया [illegible] तारीख 12 तक [illegible] पत्रावली वास्ते [illegible] दावा दिनांक 4/9/25 को पेश हो
4/9/25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी हाजिर [illegible] अप्रार्थी के [illegible] पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 8/9/25 को पेश हो
8/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी [illegible] बहस पर [illegible] किया पत्रावली समग्र का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी की सहमति के आधार पर [illegible] किया जाता है [illegible] व [illegible] के [illegible] पत्रावली [illegible] पत्रावली फैसलशुदा [illegible] उपस्थित हो

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद * जिला-सीकर (राज.) *

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.09.17 17:23:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी— राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा— राजस्व वाद/मु.सं. 81/2025

01. उमेश जांगिड़ उम्र 28 वर्ष पुत्र सांवरमल
02. योगेश कुमार उम्र 33 वर्ष पुत्र सांवरमल
03. महेश कुमार जांगिड़ उम्र 34 वर्ष पुत्र सांवरम
    समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण पालवास तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

— वादीगण

ब ना म

01. सांवरमल उम्र 58 वर्ष पुत्र अर्जुनराम जाति जांगिड़ निवासी पालवास तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर
02. रेखा रिणवां पुत्री सुभाषचन्द्र रिणवां जाति ब्राहमण निवासी वार्ड सं. 18 काछवा तहसील नेछवा जिला सीकर
03. पटवारी, पटवार हल्का कंवरपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर
04. उपपंजीयक, सीकर ग्रामीण तहसील सींकर ग्रामीण जिला सीकर
05. तहसीलदार, सीकर ग्रामीण तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति—

01. श्री हरफूल सिंह खीचड़, वकील वादीगण की ओर से
02. श्री सुरेश कुमावत, वकील प्रतिवादी सं. 1 की ओर से
03. श्री कैलाश चन्द स्वामी, वकील प्रतिवादी सं. 2 की ओर से

:निर्णयः:

दिनांक—08.09.2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि "वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 एक ही पूर्वज अर्जुनराम के वारिसान है। जिनकी वंशावली निम्न प्रकार से है—

रूडाराम
↓
अर्जुनराम
↓
नानी [illegible]
↓
[illegible] — सांवरमल
↓
महेश कुमार जांगिड़ (पुत्र) — योगे[illegible] कुमार (पुत्र) — उमेश जांगिड़ (पुत्र)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.09.17 17:23:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला-सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर

कृषि भूमि खसरा सं. 1366/21 रकबा 1.0628 हेक्टेयर वाके ग्राम कंवरपुरा पटवार हल्का कंवरपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में अवस्थित है, जो मूल खसरा सं. 21 रकबा 2.8000 हेक्टेयर का एक भाग है। मूल खसरा सं. 21 रकबा 2.8000 हेक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक कृषि भूमि रही है। जिसकी खातेदारी में पूर्व में अर्जुनराम पुत्र रूडाराम के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2041–2060 व 2061–2064 में दर्ज रही है। अर्जुनराम पुत्र रूडा का देहान्त होने पर विरासत का नामान्तरकरण सं. 889 दिनांकित 20.08.2007 के द्वारा खातेदारी नानी देवी पत्नी अर्जुनराम, नाथूराम, सांवरमल पिता अर्जुनराम के नाम दर्ज हुई तथा नानी देवी के देहान्त पर नामान्तरकरण सं. 1129 दिनांकित 05.11.2011 के द्वारा संपूर्ण आराजी की खातेदारी नाथूराम, सांवरमल पुत्रगण अर्जुनराम के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हुई। उक्त आराजी के विभाजन के द्वारा खसरा सं. 1366/21 रकबा 1.4000 हेक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हुई थी। इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हुई भूमि खसरा सं. 1366/21 रकबा 1.4000 हेक्टेयर वाली भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त स्वामित्व की पैतृक हक हिस्से की भूमि थी। उक्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ने भी आपस में बाहमी विभाजन कर लिया, जिसके आधार पर उपरोक्त भूमियों में से 0.3372 हेक्टेयर उत्तरी–पश्चिमी कोने की तरफ की प्रतिवादी सं. 1 को प्राप्त हुई तथा शेष भूमि वादीगण के संयुक्त हक आधिपत्य में रही। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने हक हिस्से की संपूर्ण भूमि सुरेश गिनोड़िया पुत्र रतनलाल जाति महाजन निवासी सुभाष चौक, नानी तहसील व जिला सीकर को बेचान कर दिया तथा शेष भूमि वादीगण के हक अधिकार व स्वामित्व की रही। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने हक हिस्से की जो भूमि सुरेश गिनोड़िया को बेचान की गयी थी, जिसका अलग खसरा सं. 1371/21 रकबा 0.3372 हेक्टेयर राजस्व रिकार्ड में अंकित हो गया तथा वादीगण के हक हिस्से में रही भूमि का खसरा सं. 1366/21 रकबा 1.0628 हेक्टेयर राजस्व रिकार्ड में अंकित चला आ रहा है। इस प्रकार भूमि वर्तमान खसरा सं. 1366/21 रकबा 1.0628 हेक्टेयर वाली भूमि अकेले वादीगण के ही बहिस्सा बराबर हक आधिपत्य की भूमि है क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा पैतृक भूमि में से अपना जो भी हक हिस्सा था वो पूर्व में ही सुरेश गिनोड़िया को बेचान किया जा चुका है। भूमि खसरा सं. 1366/21 रकबा 1.0628 हेक्टेयर के किसी भी हक हिस्से पर प्रतिवादी सं. 1 का कोई संबंध सरोकार नहीं रहा है। उक्त भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का केवल मात्र नाम अंकित रहा है। प्रतिवादी सं. 1 जो वादीगण का पिता है, जो आदतन शराबी व जुवारी प्रवृति का है तथा जिसको भूमाफिया गिरोह के व्यक्तियों ने अपने प्रभाव में ले रखा है, जो प्रतिवादी सं. 1 की शराब व जुवां की गलत आदत का नाजायज़ फायदा उठाकर बिना हक अधिकार तथा कब्जा व प्रतिफल हस्तानान्तरण के ही विवादित कृषि भूमि खसरा सं. 1366/21 रकबा 1.0628 हेक्टेयर वाके ग्राम कंवरपुरा पटवार हल्का कंवरपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर, जो कि केवल मात्र वादीगण के ही हक आधिपत्य की भूमि है, से महरूम किये जाने की दुर्भावना से प्रतिवादी सं. 1 ने प्रतिवादी सं. 2 व अन्य भूमाफिया गिरोह के व्यक्तियों से साज कर, प्रतिवादी [illegible] के पक्ष में सर्वथा अवैध, शून्य एवं प्रभावहीन किता 2 विक्रय–पत्र [illegible] एवं 08.05.2025 को निष्पादित व पंजिकृत करवा लिया। वादग्रस्त आराजी में [illegible] 0.1124 हेक्टेयर भूमि का साजसी विक्रय–पत्र उपपंजीयक कार्यालय [illegible] के यहां दिनांक 19.06.2024 को पंजीबद्ध किया गया तथा उसके आधार पर प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में नामान्तरकरण सं. 2005 दिनांक 19.06.2024 को स्वतः स्वीकृत हुआ है एवं वादग्रस्त आराजी में से 0.1124 हेक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.09.17 17:23:43 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

भूमि का दूसरा साजसी विक्रय–पत्र 08.05.2025 को निष्पादित व पंजीकृत करवा लिया, जो उपपंजीयक कार्यालय, सीकर ग्रामीण के यहां दिनांक 08.05.2025 को पंजीबद्ध किया गया तथा उसके आधार पर प्रतिवादी सं. 2 के नाम नामान्तरकरण सं. 2332 दिनांक 08.05.2025 को स्वतः स्वीकृत हुआ है। उपरोक्त दोनों विक्रय–पत्र वादीगण के पैतृक हक हिस्से के मुकाबले सर्वथा अवैध, शून्य एवं प्रभावहीन है, जिससे वादीगण कतई प्रतिबंधित नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में निष्पादित व पंजीकृत दोनों विक्रय–पत्र अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा बिना हक व हिस्सा के निष्पादित व पंजीकृत करवाये गये होने के कारण वादीगण के हक अधिकारों के सर्वथा अवैध, शून्य एवं प्रभावहीन है तथा उसके आधार पर की गई नामान्तकरण की कार्यवाही भी ऑनलाईन हुई है जो भी सर्वथा अवैध, शून्य व प्रभावहीन हैः– (क) उपरोक्त विक्रय–पत्रों में वर्णित भूमि वाद पत्र की पूर्वो की मदों में दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार केवल मात्र वादीगण के ही हक आधिपत्य की भूमि रही है, जिसके किसी भी हक हिस्से से प्रतिवादी सं. 1 का कोई संबंध सरोकार नहीं रहा है। उसका केवल मात्र राजस्व रिकार्ड में नाम अंकन मात्र चला आ रहा था, जिसका अनुचित फायदा उठाकर प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रतिवादी सं. 2 के हक में उपरोक्त विक्रय–पत्र निष्पादित व पंजीकृत करवाये गये है। इसलिए वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी सं. 1 सांवरमल का कोई हक हिस्सा शेष नहीं होने के बावजूद भी उक्त दोनों चुनौतीग्रस्त विक्रय–पत्र पंजीकृत करवाये गये है, जो वादीगण के मुकाबले प्रारम्भ से ही अवैध, शून्य व प्रभावहीन है। वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में पंजीकृत करवाये गये दोनों विक्रय–पत्रों में ना तो प्रतिफल राशि का आदान प्रदान हुआ है ना ही कब्जा का आदान–प्रदान हुआ है। वादग्रस्त आराजी पर केवल मात्र वादीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसलिए बिना प्रतिफल व कब्जा के आदान–प्रदान के तथा बिना विधिक अधिकार के करवाये गये चुनौतीग्रस्त दोनो विक्रय–पत्र प्रारम्भ से ही कतई अवैध, शून्य व प्रभावहीन है। (ग) प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में पंजीकृत व निष्पादित करवाये गये उपरोक्त चुनौतीग्रस्त दोनों विक्रय–पत्र बिना हक अधिकार के करवाये जाने के कारण प्रतिवादी सं. 2 को कोई हक अधिकार हासिल नहीं हुए है। उक्त दोनों विक्रय–पत्र कागजी ट्रांजेक्शन मात्र है। जिस कारण चुनौतीग्रस्त दोनों विक्रय–पत्र प्रथम दृष्ट्या ही प्रारम्भ से अवैध शून्य व प्रभावहीन है। वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा सं. 1366/21 रकबा 1.0628 हेक्टेयर वाके ग्राम कंवरपुरा पटवार हल्का कंवरपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर पर वादीगण निरन्तर निर्विवाद रूप से काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग व काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज होने तथा प्रतिवादी सं. 1 आदतन शराबी व जुवारी प्रवृति का व्यक्ति होने व वादीगण से अनावश्यक द्वेषता की वशीभूत होकर वादीगण को उनके एकमात्र हक आधिपत्य की भूमि से महरूम करने की कुचेष्टा में है। जबकि वादग्रस्त आराजी ही वादीगण का एकमात्र आय का साधन है। इसलिए प्रत्येक वादीगण वादग्रस्त आराजी में 1/3 – 1/3 की उदघोषणा करवाने के अधिकारी है। तदहेतु प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया [illegible]मी आया है। इसलिए वादीगण प्रत्येक को उपरोक्त भूमि खसरा सं. 1366/21 [illegible]628 हेक्टेयर में वादीगण प्रत्येक को समभाग बराबर–बराबर 1/3 [illegible] हक हिस[illegible] का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाना उचित, आवश्यक व न्याय[illegible] की पूर्व की मदों में ही स्पष्ट किया जा चुका है कि विवादित भूमि खसरा सं. 1366/2[illegible] रकबा 1.0628 हेक्टेयर वाके ग्राम कंवरपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर की संपूर्ण खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 के नाम गलत

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.09.17 17:23:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद ★ जिला–सीकर (राज.) ★

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर

रूप से राजस्व रिकार्ड में अंकित चली आ रही है। जबकि उसका उपरोक्त भूमि के किसी भी हिस्से पर कोई संबंध सरोकार नहीं था। राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राजात का नाजायज फायदा उठाकर व प्रतिवादी सं. 1 प्रतिवादी सं. 2 व अन्य भूमाफिया गिरोह के व्यक्तियों ने साजकर वादीगण को उनकी अकेले की हक आधिपत्य की भूमियों से महरूम रखने के कुउद्देश्य के तहत प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में अवैध हस्तानान्तरण प्रलेख निष्पादित व पंजीकृत करवा दिया तथा उसके आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत करवा लिया गया तथा अब वादीगण को उनकी विवादित भूमियों से भी जबरन व ताकत के बल पर बेदखल करने, भूमियों को वेस्ट डेमेज करने पर आमादा फसाद हो रखा है तथा प्रतिवादी सं. 2 साजसी विक्रय–पत्रों के आधार पर दर्ज खातेदारी के आधार पर वादीगण को उनके हक आधिपत्य की भूमि पर जबरन कब्जा कर बेदखल करने पर आमादा है, जिसका प्रतिवादी सं. 1 व 2 को कोई कानूनी हक अधिकार नहीं है। इसलिए प्रतिवादी सं. 1 व 2 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावें कि वे वादग्रस्त भूमियां खसरा सं. 1366/21 रकबा 1.0628 हेक्टेयर वाके ग्राम कंवरपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर से वादीगण को उनकी हक आधिपत्य की भूमि से जबरन व ताकत के बल पर बेदखल करने, वादीगण के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप करने, भूमियों को वेस्ट डेमेज व एलाईनेट करने, पेड पौधे काटने, कच्चा पक्का निर्माण करने, भूमियों को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाने, भूमियों को विक्रय अंतरण व प्रभारण करने से बाज रहे तथा प्रतिवादीगण सं. 3 ता 5 को प्रतिबंधित फरमाया जावें कि वो किसी भी हस्तानान्तरण प्रलेख को तस्दीक करने व उसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने से बाज रहे। दिनांक 08.05.2025 को वादीगण अपने हक हिस्से की भूमियों की देख–रेख करने हेतु मौके पर गये हुए थे। तब प्रतिवादी सं. 2 द्वारा उपरोक्त भूमि के संबंध में अपने पक्ष में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा किये गये विक्रय–पत्रों के आधार पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों को चुनौती दी। जिस पर वादीगण द्वारा दोनों विक्रय–पत्रों की नकल प्राप्त की तथा राजस्व रिकार्ड की नकल हेतु आवेदन पेश कर राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त की, तो राजस्व रिकार्ड प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के नाम होने की जानकारी हुई। इस पर वादीगण ने प्रतिवादी सं. 2 को इस संबंध में उलाहना दिया तो उन्होंने अपनी गलती मानी तथा शीघ्र ही राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का आश्वासन दिया। परन्तु दिनांक 15.05.2025 को जब वादीगण ने ज्यादा जोर देकर कहा तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया तथा वादीगण को यह खुले आम धमकी देने लगे कि हम राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त नहीं करवायेंगे तथा तुम्हारे हक–हिस्से की जमीन पर भी तुम्हारी अनुपस्थिति में कब्जा कर लेंगे और यदि जरूरत पड़ी तो प्रतिवादी सं. 4 के यहां हस्तानान्तरण प्रलेख पंजीकृत करवाकर प्रतिवादीगण सं. 3 व 5 से राजस्व रिकार्ड में भी परिवर्तन करवा लेंगे। जिस पर वाद–कारण उत्पन्न हुआ तथा दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण सं. 3 ता 5 [illegible] की संज्ञा में आते है इनके खिलाफ वाद पेश करने की स्थिति में दो माह [illegible] 80 सीपीसी का विधिक नोटिस दिये जाने का कानूनी प्रावधान है। प[illegible] आवश्यक प्रकृति का है। क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 ने प्रतिवादी सं. [illegible] में वादी[illegible] के हक हिस्से की भूमि का साजसी विक्रय–पत्र के द्वारा बेचान/कर [illegible] तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा आगे ओर बेचान/हस्तानान्तरण करने, वादग्रस्त भूमि पर [illegible] वादीगण को बलात् रूप से बेदखल करने पर आमादा है। अगर यह लोग अपने कुउद्देश्य में सफल हो जायेगे, तो वादीगण के वैध अधिकारों पर कुठाराघात होगा तथा नोटिस देकर वाद पेश करने की स्थिति में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.09.17 17:23:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जिला-सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
जिला सीकर

वादीगण का वाद नियोजन का उदेश्य ही विफल हो जावेगा। इसलिए माननीय न्यायालय की पुर्वानुमति से वाद पेश किया जा रहा है। इस संबंध में अलग से आवेदन अं. धारा 80(2) सीपीसी पेश किया जा रहा है। दावा सुनवाई का माननीय न्यायालय हाजा को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त होने से उचित न्याय शुल्क पर अंदर मियाद दो प्रतियों में सादर प्रस्तुत है। अतः वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 निर्णित व डिक्री किया जाकर विवादित भूमि खसरा सं. 1366/21 रकबा 1.0628 हेक्टेयर वाके ग्राम कंवरपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में से वादीगण प्रत्येक को समभाग बराबर–बराबर 1/3 – 1/3 हक हिस्से की काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित की जावें तथा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावें तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज खातेदारी को हजफ फरमायी जावें। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त भूमियां खसरा सं. 1366/21 रकबा 1.0628 हेक्टेयर वाके ग्राम कंवरपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर से वादीगण को उनकी भूमि से जबरन व ताकत के बल पर बेदखल करने, वादीगण के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप करने, भूमियों को वेस्ट डेमेज व एलाईनेट करने, पेड़–पौधे काटने, कच्चा–पक्का निर्माण करने, भूमियों को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाने, भूमियों को विक्रय, अंतरण व प्रभारण करने से बाज रहे तथा प्रतिवादीगण 3 ता 5 को प्रतिबंधित फरमाया जावें कि वो किसी भी हस्तानान्तरण प्रलेख को तस्दीक करने व उसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने से बाज रहें।"

वाद–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 3 ता 5 पर विधिवत तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से पूर्ण होने के बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उक्त के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री सुरेश कुमावत, एड. ने वकालतनामा पेश कर वादी के वाद को डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होने बाबत जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री कैलाश स्वामी, एड. ने वकालतनामा पेश कर विस्तृत जवाब दावा मय क्राउंटर क्लेम पेश किया, जिसको उक्त वकील की ओर से दिनांक 25.08.2025 को एक आवेदन पेश कर उक्त काउंटर क्लेम को विड्रा करने का निवेदन किया गया। दिनांक 31.07.2025 को वादी सं. 1 स्वयं, वादीगण सं. 2 व 3 जरिये वकील तथा प्रतिवादी सं. 1 स्वयं ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया, जिसे वाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण दावा में वकील वादीगण व वकील प्रतिवादी सं. 1 ने उनके द्वारा प्रस्तुत उक्त राजीनामा दिनांकित 31.07.2025 के अनुसार वादीगण के वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया। उक्त राजीनामा के अनुसार सारतः उल्लेखित किया गया कि "कृषि भूमि खसरा सं. 1366/21 रकबा 1.0628 हेक्टेयर वाके ग्राम कंवरपुरा पटवार हल्का कंवरपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में अवस्थित है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 पिता–पुत्र है, जिस कारण लोक अदालत की पवित्र भावना से प्रेरित होकर पक्षकारों के मध्य [illegible] कृषि भूमि खसरा सं. 1366/21 रकबा 1.0628 हेक्टेयर वाके ग्राम कंवरपुर[illegible] सीकर ग्रामीण जिला सीकर में प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज [illegible] वादीगण की माता को विक्रय–पत्र दिनांक 22.07.2025 को विक्रय [illegible] जा चुका है तथा प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 2095/[illegible] वादीगण सं. 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार, उदघोषित किया जाने में प्रतिवादी सं. 1 को कोई आपत्ति एतराज नहीं है। इसलिए वाद–पत्र को मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जावें।"

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.09.17 17:23:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला–सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला–सीकर

वकील प्रतिवादी सं. 2 ने भी प्रकरण में राजीनामा के अनुसार वादीगण के वाद को डिक्री किये जाने पर अनापत्ति व्यक्त की।

बहस उभयपक्ष से सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। प्रकरण दावा में ग्राम कंवरपुरा पटवार कंवरपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के खाता सं. (नया) 352 में वर्णित आराजी खसरा सं. 1366/21 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी (संवत् 2076–2079) में वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 का 2095/2657 हिस्से के संबंध में वादीगण ने रिलीफ चाही है। प्रकरण दावा में वादीगण तथा प्रतिवादी सं. 1 ने सहमत होकर वर्णित आराजी में प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित 2095/2657 हक हिस्से में से वादीगण सं. 1 ता 3 के नाम बराबर–बराबर हिस्सा देने में सहमति से उक्तानुसार खातेदारी उद्घोषित करवाना चाहते है। वादीगण व प्रतिवादीं सं. 1 के मुताबिक राजीनामा के अनुसार सहमत है। अतः वादीगण का वाद उभयपक्ष की सहमति के अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उभयपक्ष की सहमति के आधार पर वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वाके ग्राम ग्राम कंवरपुरा पटवार हल्का कंवरपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा सं. 1366/21 रकबा 1.0628 हेक्टेयर में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 2095/2657 हिस्से का वादीगण सं. 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार; उद्घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांकित 31.07.2025 निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। यदि रहन है तो रहन यथावत रहेगा। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला–सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.09.17 17:23:43 IST
Reason: SelfAttested